राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 76/21 दायर दिनांक 10.12.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1- सूरजमल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़

......वादी

बनाम

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

...प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, रा0का0अधि0 व धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधि0 1956

निर्णय दिनांक 28.3.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम सुरसुरा पटवार हल्का सुरसुरा भू–अ0नि0 क्षेत्र हरमाड़ा तहसील रूपनगढ़ अवस्थित ख0न0 2041, 2042, 2043, 2044,2051 कुल किता 5 कुल रकबा 11.5362 हैक्टेयर में वादी का गलत नाम सूजाराम पुत्र रामचन्द्र का राजस्व रिकार्ड अनुसार 1/36 हिस्सा दर्ज है। वाद वर्णित खसरा नम्बरान की आराजीयात में राजस्व रिकार्ड अनुसार वादी का हिस्सा अन्तर्निहित है। वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम सूजाराम पुत्र रामचन्द्र का इन्द्राज किया है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम सूरजमल पुत्र रामचन्द्र है। वाद वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नामांतरकरण खोलते समय वादी को जानकारी नहीं थी क्योंकि अशिक्षित है व नामांतरकरण की समझ वादी को नहीं थी। इसलिए सहवन से दर्ज हो गया था उस समय वादी को जमीन के कागजात के बारे में समझ नहीं थी। वादी का नाम सूजाराम पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर सूरजमल पुत्र रामचन्द्र का नाम इन्द्राज कर इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहते है। वादी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड व अन्य जमावन्दी जिसके खाता संख्या नया 992 आदि के रिकार्ड में सुरजमल पुत्र रामचन्द्र नाम दर्ज हैं। वादी के अलग, अलग नाम अंकित होने से वादी को किसान कार्ड बनवाने, राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान प्राप्त करने में एवं अपनी कृषि भूमि के विकास करने में व राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली सुविधाएं, मुआवजा आदि प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि सूजाराम पुत्र रामचन्द्र व सूरजमल पुत्र रामचन्द्र दोनों नाम की वादी एक ही व्यक्ति है, जिसके संबंध में ग्राम पंचायत सुरसुरा के सरपंच द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया है। वादी ने अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी पर प्रधान[illegible] सुविधा हेतु पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तब वादी को जानकारी प्राप्त[illegible]वादी का नाम सहवन से जमाबन्दी में सूजाराम पुत्र रामचन्द्र गलत अंकित हो [illegible] का नाम सूजाराम पुत्र रामचन्द्र का इन्द्राज किया हुआ है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम सूरजमल पुत्र रामचन्द्र है। वाद वर्णित खसरों मे वादी केनाम घोषणात्मक डिक्री व इन्द्राज की दुरूस्त करवा कर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सूरजमल पुत्र रामचन्द्र के नाम से इन्द्राज दुरूस्त करवाने के लिए यह माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.06.07 16:37:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी का सम्मन नामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया।

प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम सुरसुरा की अन्तिम चौसाला आधार संवत 2070–2073 जमावन्दी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 1047 में ख0न0 2041, 2042, 2043, 2044,2051 कुल किता 5 कुल रकबा 11.5362 हैक्टेयर है0 भूमि सूजाराम पुत्र रामचन्द्र हि0 1/36 जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रकरण में किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया है। वकील वादी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यथा वादी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत , सुरसुरा का प्रमाण–पत्र व अन्य जमाबन्दी जिसके खाता संख्या नया 992 के रिकार्ड में सुरजमल पुत्र रामचन्द्र नाम दर्ज हैं, के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरसुरा के ख0न0 2041, 2042, 2043, 2044,2051 कुल किता 5 कुल रकबा 11.5362 है0 भूमि में वादी के दर्ज नाम सूजाराम पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर सूरजमल पुत्र रामचन्द्र दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़(अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.06.07 15:37:14 IST
Reason: SelfAttested